न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर (जयपुर)

फर्द अहकाम

रामपाल बनाम बलराम

न्यायालय

संख्या ४४/18 धा.प.

...संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	पिछो...
	13-२-२०23	पत्रावली प्रस्तुत (व०क० 3५०) प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा. संख्या –88 / 2018 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –29.08.2018

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

1. सतपाल पुत्र स्व0 पोखरमल
2. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 पोखरमल
3. विकास कुमार पुत्र स्व0 पोखरमल
4. कृष्णा देवी बेवा स्व0 पोखरमल

   समस्त जाति अहीर निवासियान ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
5. सविता पुत्री स्व0 पोखरमल पत्नी श्री रामकिशोर निवासी नाथी का बास, तहसील फुलेरा, जयपुर ।
6. सुषमा पुत्री स्व0 पोखरमल पत्नी श्री रामकुमार निवासी नाथी का बास, तहसील फुलेरा, जयपुर ।
7. मीरा पुत्री सव0 पोखरमल पत्नी लक्ष्मण यादव निवासी देवलया हरसोली, तहसील फुलेरा जयपुर

.......प्रार्थीगण

वनाम

1. बलराज पुत्र मेवाराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुढासर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर ।

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री शिवसिंह चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 13.02.2023

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षकिय वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। विवादित आराजी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 98 में अंकित खसरा नम्बरान 85/356 रकबा 0.02 है0, 89 रकबा 0.59 है0, 92 रकबा 0.67 है0, 93 रकबा 1.64 है0, 112 रकबा 1.74 है0 व 293 रकबा 2.57 है0 कुल किता 6 रकबा 7.23 हैक्टेयर के काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 भगवानसहाय, पोखरमल, सीताराम पि0 लक्ष्मीनारायण कौम अहीर सा. देह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि कुल किता 6 रकबा 7.23 हैक्टेयर के हि. 1/2 में हि. 1/3 के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार पोखरमल पुत्र लक्ष्मीनारायण का स्वर्गवास दिनांक 1.09.2017 को हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 20.09.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत वरना, प.रा. प.स. जालसू, जयपुर द्वारा विधिवत, बाद जांच स्वर्गीय पोखरमल के वारिसान के पक्ष में स्वीकार कर अमल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 कर दिया। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर पिता के जीवनकाल से निरन्तर काबिज हो कर उपयोग– उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण हाल जमाबन्दी में वर्णित भूमि में अंकित हिस्से के सह–काश्तकार है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (संशोधित अधिनियम 2005) की धारा 6 अनुसार पैत्रिक सम्पती में जन्म से पुत्र व पुत्री का पिता के समान कोपार्सनर होने से समान हित, स्वत्व व अधिकार निहित है अर्थात प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के मद संख्या अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक विरासत के नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 20.09.2017 के विरुद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु० जयपुर के समक्ष दिनांक 26.10.2017 को यह अंकित कर पेश की है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर में

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हि. 1/6 को पोखरमल से बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 को क्रय की है इसलिये नामान्तरकरण संख्या 244 को खसरा नम्बर 293 रकबा 2.57 है0 के हिस्से तक खारिज फरमाया जावें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु० जयपुर के न्यायालय से नोटिस प्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त होने पर दिनांक 30.04.2018 को न्यायालय में उपस्थित हो कर नकल अपील प्राप्त करने पर उक्त तथाकथित विक्रय पत्र की सर्वप्रथम जानकारी हुई जिससे वाद कारण विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 उत्पन्न होने से वाद व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 को प्रार्थी के पिता स्व० पोखरमल द्वारा निष्पादित नहीं किया है न कोई प्रतिफल प्राप्त किया गया। विक्रय की सम्पूर्ण कार्यवाही कूटरचित है। तथाकथित विक्रय की दिनांक 22.12.2014 को भूमि विक्रय करने के लिये कोई पारिवारिक आवश्यकता नहीं थी तथा प्रार्थीगण को उनके पिता स्व० पोखरमल ने व क्रेता बलराज ने उक्त विक्रय की कभी कोई जानकारी नहीं दी। प्रार्थीगण आज भी तथाकथित विक्रय की गई भूमि पर पूर्व अनुसार काबिज हो कर निरन्तर काश्त करते आ रहे है। मौके पर प्रार्थीगण द्वारा बोइ गई बाजरा, गंवार, रंजका आदि की फसल खडी है । क्रेता अप्रार्थी संख्या 1 का भूमि के किसी भू—भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त है जिस पर क्रेता अप्रार्थी संख्या 1 का भूमि वादग्रस्त के किसी भू—भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। भूमि वादग्रस्त संयुक्त हिन्दू परिवार के कोपार्सनरस् की अविभाजित भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है व लगान सरकार को नियमानुसार अदा करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 अवैध व प्रभाव शुन्य विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 की आड में जिसे भूमि वादग्रस्त के कोपार्शनर्स प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा निष्पादित नहीं किया है, संयुक्त हिन्दू परिवार के कोपार्शनर की भूमि का विक्रय पत्र करने का अधिकार किसी एक कोपार्शनर को नहीं है। इसलिये तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 के आधार पर क्रेता अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है न हो सकते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (संशोधित अधिनियम की धारा 6 2005) की विवादित पैत्रिक अनुसार

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

पैत्रिक सम्पत्ती में प्रार्थीगण/वादीगण का जन्म से हक, स्वत्व व् अधिकार निहित होनें से अप्रार्थी संख्या 1 को यह अधिकार नहीं है कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर अनाधिकृत कब्जा करें। यदि अप्रार्थी संख्या 1 भूमि वादग्रस्त के किसी भू–भाग पर येन–केन प्रकारेण कब्जा करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी सूरत में नहीं हो सकेगी तथा बिलावजह मुकदमेबाजी बढेगीं जिससे प्रार्थीगण को मानसिक पीडा उत्पन्न होगी । प्रार्थीगण भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर में हि. 1⁄6 के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अपने कब्जे काश्त की भूमि को सुरक्षित रखने का वैधानिक अधिकार है कि वे अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाये कि वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सरवेन्ट आदि से करवाये । भूमि वादग्रस्त के प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार जिस पर की गई फसल बाजरा व गंवार तथा रंजका आदि खडी है। अतः सुविधा की तुला प्रार्थीगण के पक्ष में सबल है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर अप्रार्थीगण को वाद के अन्तिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावें कि वह भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व उपयोग– उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सरवेन्ट से करावे तथा मौका व राजस्व रेकार्ड के आज दिन की स्थिति यथावत कायम रखें ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की विधिवत तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है। लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र गलत व बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर विधि विरुद्ध वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिसके आधार पर सफलता की आशा करना गलत होने के कारण अस्वीकार

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मद में वर्णित कथंन कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात कुल किता 6 कुल रकबा 7.23 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 में हिस्सा 1/3 के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार पोखरमल पुत्र लक्ष्मीनारायण ने अपने जीवनकाल में आराजी खसरा नंबर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर में हिस्सा 1/6 का दिनांक 22.12.2014 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र उत्तरदाता को उक्त विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर दिया तथा विक्रय किये जाने के दिन भौतिक रूप से कब्जा विक्रित भूमि का उत्तरदाता को संभला दिया । उत्तरदाता अपन्रे क्रयशुदा भाग का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थना पत्र के उक्त मद में प्रार्थीगण ने अपने पिता स्वर्गीय पोखरमल के खातेदारी की अन्य आराजीयात के साथ साथ खसरा नंबर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर के हिस्सा 1/6 का भी नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 20. 09.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत बरना से मिलीभगत कर तस्कदी करवा लिया। जिससे कानूनन प्रार्थीगण को कोई व अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रार्थीगण ने उक्त मद में यह कथन भी गलत अंकित किया है कि वे उनके पिता के द्वारा उत्तरदाता को विक्रय की गई भूमि पर काबिज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तदाता के हक में पोखरमल पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा विक्रय की गई भूमि के बाबत स्वयं के नाम नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 20.09.2017 के विरूद्व उत्तरदाता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर के समक्ष अपील संख्या 14/2017 अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की। जिसमें न्यायालय द्वारा विक्रित भूमि वादग्रस्त के बावत प्रार्थीगण को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश से प्रतिबंधित किया हुआ है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत उनके पिता द्वारा अपने स्वर्गवास से पूर्व विक्रय की गई वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील आमेर स्थित आराजी खसरा नंबर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 बाबत कानूनन कोई हक व अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

के तहत प्राप्त नही होते है। उक्त मद में वर्णित कथन कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में सहकाश्तकार दर्ज रेकार्ड है, जो महज नामान्तकरण संख्या 244 के आधार पर अंकित किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (ट) के अनुसार किसी भी खातेदार काश्तकार के खातेदारी उक्त काश्तकार द्वारा अपनी भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबधो के अनुसार बेचान या दान कर दिया जाता है तो उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है राजस्व रेकार्ड में विक्रय किये जाने के पश्चात विधि विरूद्ध नामान्तकरण के आधार पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज इन्द्राज कानूनी रूप से प्रभावशुन्य है। प्रार्थना पत्र 1 की मद संख्या 5 में वर्णित कथन उत्तरदाता / अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में विरासत नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 20.09.2017 को खसरा नंबर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर हिस्सा 1 / 6 तक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष चुनौती देना स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण को उनके पिता स्वर्गीय पोखरमल पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा आराजी खसरा नंबर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर हिस्सा 1 / 6 का विक्रय दिनांक 22.12.2014 को उत्तरदाता के हक में विक्रय किये जाने की जानकारी प्रारंभ से ही रही है यहा तक की प्रार्थी संख्या 3 विकास कुमार पुत्र स्व० स्व० पोखरमल ने उपतहसीलदार उप तहसील जालसू के समक्ष दिनांक 13.10.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मुझे हल्का पटवारी से सूचना मिली है कि बलराज यादव मेरी उक्त भूमि बाबत नामान्तकरण खुलवाने पर आमदा है। बलराज यादव ने मेरी जमीन मेरे पिता से उनके जीवनकाल में कोई फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। इस कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा आपके समक्ष नामान्तकरण हेतु प्रस्तुत करने पर नामान्तकरण खोला नही जावें । यहां यह भी कहना प्रासंगिक है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थी संख्या 1 सतपाल पुत्र पोखरमल ही दिनांक 30.04.2018 को उपस्थित आये है अन्य प्रार्थीगण आज दिनांक तक भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष उपस्थित नही आये। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण [illegible] दिनांक 30.04.2018 को वादकारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध उत्पन्न होना [illegible] होने के कारण अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित [illegible]

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

गलत मनगढंत बदनियतीपूर्वक पश्चातवर्ती सोची समझी साजिश के तहत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 22.12.2014 को प्रार्थीगण के पिता स्व० पोखरमल द्वारा उप पंजीयक जयपुर द्वितीय के समक्ष उपस्थित होकर विक्रय पत्र प्रतिफल राशि प्राप्त कर उत्तरदाता के हक में निष्पादित करवाया है। उक्त विक्रय पत्र को प्रार्थीगण द्वारा कुटरचित होना गलत अंकत किया है। उक्त मद में प्रार्थीगण ने यह कथन भी गलत अंकित किया है कि विक्रय पत्र की जानकारी उन्हे पोखरमल व उत्तरदता ने कभी नही दी। बल्कि विक्रय पत्र की जानकारी प्रारंभ से प्रार्थीगण को रही है। विक्रय पत्र के तहत प्राप्त प्रतिफल राशि प्रार्थीगण के पिता ने प्राप्त कर उक्त राशि को अपने व परिवार की आवश्यकताओ के लिए उपयोग में ली गई है। प्रार्थीगण ने उक्त मद में विक्रित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होना व फसल बिजाई करने व उत्तरदाता का कब्जा काश्त नही होने का कथन गलत अंकित किया है। बल्कि उत्तरदाता भूमि क्रय किये जाने के समय से ही निरंतर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है । प्रार्थीगण के द्वारा उक्त मद में बदनियतीपूर्वक खसरा नंबर 293 रकबा 2.57 हैक्टेयर को वादग्रस्त भूमि अंकित किया है की मद संख्या 9 में वर्णित कथन 9. यह कि प्रार्थना पत्र गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि खसरा रकबा 2.57 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 जरिये नंबर 293 पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय पत्र किये जाने की दिनांक 22.12.2014 से उत्तरदाता काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। कानूनन पंजीकृत विकय पत्र से परिवार के कर्ता द्वारा भूमि का विकय किये जाने के पश्चात प्रार्थीगण को उनके पिता द्वारा विक्रित किये जाने के पश्चात प्रार्थीगण को उनके पिता द्वारा विकित भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीगण के पिता पोखरमल ने अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी की भूमि का विकय उत्तरदाता के हक में किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तरदाता के हक किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के हक में उत्तरदाता को उनके पिता पोखरमल ने अपने जीवनकाल में भूमि विवादग्रस्त का विकय कर दिया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति नही है। कानूनन पौत्र व पौत्रियो को उनके पिता के पिता द्वारा छोडी गइ संपति में जो कि पिता की खातेदारी में अंकित थी उनका कोई अधिकार नही बनता है। जैसा कि हिन्दु

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची वर्ग 1 में पौत्र को उत्तराधिकारी नही माना है। प्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण किसी भी रूप में रिकॉडेड खातेदार काश्ताकार नही हो जाते है प्रार्थीगण के नाम दर्ज विरासत नामान्तकरण संख्या 244 को अप्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जो आज दिनांक तक विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश से प्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया हुआ है। कानूनन पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए वाद व प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 293 रकबा 2.57 है0 के हिस्सा 5/6 के अन्य सहकाश्तकारान है जो कि घोषणा के वाद व प्रार्थना पत्र में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में आदेश 1 नियम 13 सीपीसी के दोष से आरिज होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 विक्रेता पोखरमल क्रेता बलराज ख.न. 293 हिस्सा 1/6 ग्राम रघुनाथपुरा तहसील आमेर व फोटो प्रति अपील संख्या 14/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर उनवानी बलराज बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बरना पेश किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थीगण का बहस मे कथन रहा कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 293 रकबा 2.57 हैक्टयर हिस्सा 1/6 के खातेदार वादीगण के पिता पोखरमल पुत्र लक्ष्मीनारायण की विरासत नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 20.09.2017 को स्वीकृत होकर जमाबंदी मे अमल होकर भूमि के प्रार्थीगण सहकाश्तकार है। प्रार्थीगण के पिता पोखरमल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक मे निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 कूटरचित धोखे से करवाया गया है। गवाह पडौसी ग्राम के है। बिना कब्जे बिना प्रतिफल के विक्रय किया जाना बताया है। प्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। उनके द्वारा न्यायिक

सहायक कलक्टर

दृष्टान्त 2017(1)RRT 491, RRD 1993 PAGE 443, 2018(1) RRT 642, 2018(1)RRT 584, AIR 2013 SC 3525, RRD 1981 PAGE 560, RRD 1984 PAGE 280 & 851 पेश किये है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का बहस मे कथन रहा कि उनके द्वारा भूमि विवादग्रस्त प्रार्थीगण के पिता से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 से कय की है। क्रय करने की दिन से निरन्तर काबिज काश्त है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत नही होने के कारण प्रार्थीगण ने उनके पिता की विरासत का नामान्तकरण खुला लिया, जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है, जिसमे स्टे आदेश पारित है। माननीय न्यायालय को विक्रय पत्र शून्य घोपित करने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण के पिता की विरासत का नामान्तकरण उनके नाम खुलने से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी विक्रय पत्र पंजीयन के दिनांक से ही धारा 63 (VII) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ समाप्त हो चुकी है। अप्रार्थी पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर रिकोर्डड खातेदार है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1979 पेज 1 लार्जर बैंच आर आर डी 2004 पेज 33, 1974 आर आर डी पेज 446, आर आर डी 2004 पेज 135 पेश किये । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व जवाब प्रार्थना पत्र के अभिकथनो से यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थी के हक मे भूमि विवादग्रस्त का विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2014 को किया उक्त विक्रय पत्र मे प्रतिफल राशि व कब्जा देना अंकित किया है, जिसके आधार पर अप्रार्थी के पक्ष मे नामान्तकरण तस्दीक नही हुआ है, जबकि प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास पर विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे स्वीकृत होकर जमाबन्दी मे प्रार्थीगण का नाम रिकार्डड खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज है। प्रार्थीगण के हक मे हुए विरासत के नामान्तकरण को अप्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष वुनौतीग्रस्त किया है, जिसकी प्राते से स्पष्ट है नामान्तकरण की क्रियान्विति को न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये है। जहां तक विक्रय पत्र कपटपूर्ण, धोखे से बिना प्रतिफल से किये जाने का प्रश्न तथा उक्त वाद जो कि विक्रय पत्र के प्रभावशून्य घोषित करवाने की मेन्टेनेबिलिटी का प्रश्न मूल वाद मे पर्याप्त साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर विनिश्चय किया जावेगा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

पंजीकृत विक्रय पत्र आज तक प्रभावी है इसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के हक मे हुए विरासत के नामान्तकरण को अप्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की गई है, जिसकी प्रति अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ने पेश की हुई है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है नामान्तकरण की क्रियान्विति को सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1979 पेज 1 लार्जर बैंच, आर आर डी 2004 पेज 33 प्रकरण पर सीधे चस्पा होते है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होता है प्रार्थी के पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने की स्थिति में अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी संभावना नही है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर